संख्या– 851 / सेक–2–पांच–17–7(173) / 2016

प्रेषक,

जे0एल0 यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. महा निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उ0प्र0 लखनऊ।

2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उ0प्र0।

3. समस्त प्रमुख अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षिका,
जिला पुरूष / महिला / संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।

चिकित्सा अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 10 फरवरी, 2017

विषयः–पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्साधिकारियों द्वारा प्रतिदिन किये गये कार्यों से संबंधित ओ0पी0डी0 रजिस्टर एवं दैनिक डायरी की अद्यतन सूचना उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–2680 / सेक–2–पांच–13, दिनांक 04.07.2013, शासनादेश संख्या–3477 / सेक–2–पांच–13–7(199) / 2013टी0सी0, दिनांक 06.09.2013 एवं शासनादेश संख्या–2826 / चि–3–2013–जी–73 / 2013, दिनांक 21.10.2013 द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि यदि किसी चिकित्सक द्वारा माह में किये गये कार्य के संबंध में ओ0पी0डी0 रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किया जाता है एवं दैनिक डायरी का निर्धारित प्रारूप में विवरण निर्धारित समय सीमा के अन्दर अर्थात् अगले माह की 05 तारीख तक नियंत्रक प्राधिकारी को उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो इसे उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अन्तर्गत कदाचार माना जायेगा तथा संबंधित चिकित्सक के विरूद्ध इस आधार पर अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की जायेगी।

2– अपर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 06.02.2017 को सम्पन्न समीक्षा बैठक में ओ0पी0डी0 की पूर्व में प्राप्त सूचना तथा वर्तमान में प्राप्त सूचना का परिशीलन करने के उपरान्त यह पाया गया कि वर्तमान में ओ0पी0डी0 की संख्या कम हो रही है।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए यह भी अवगत कराएं कि जिन जनपदों से ओ0पी0डी0 की सूचना प्राप्त नहीं हो रही है, वहां वेतन का आहरण कैसे किया जा रहा है।

भवदीय,

(जे0एल0 यादव)
अनु सचिव।